बीस रुपये TWENTY RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

213

1

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–छतरपुर

निगरानी– 4296/2018/छतरपुर/भू.रा.

1– गौरीबाई पुत्री श्री प्यारेलाल घोसी
2– वैजयन्ती वेवा श्री कैलाश घोसी
ग्राम धुवारा, तहसील धुवारा,
जिला – छतरपुर (म.प्र.)

––आवेदकगण

विरूद्ध

1– माधव पुत्र श्री अजुद्धी घोसी
2– सुखसिंह पुत्र श्री मोहन घोसी
3– करोडी पुत्र श्री अच्छेलाल घोसी,
4– भानसिंह पुत्र श्री हल्के घोसी,
5– हरीराम पुत्र श्री रतनसिंह घोसी,
6– गोपाल पुत्र श्री रतनसिंह घोसी,
7– सुम्मेर सिंह पुत्र श्री रतनसिंह घोसी,
8– परवतन सिंह पुत्र श्री रतनसिंह घोसी,
9– सगुना पुत्र श्री रतनसिंह घोसी,
10– महेन्द्र सिंह पुत्र श्री रतनसिंह घोसी,
समस्त निवासीगण धुवारा, तहसील धुवारा,
जिला छतरपुर (म0प्र0)

–– अनावेदकगण

श्री ...... द्वारा आज दि. 04.7.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 24.7.18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 4-7-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

04/07/18

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग बडामलहरा जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 167/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 28.06.2018 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, तहसीलदार धुवारा द्वारा उपरोक्त प्रकरण में विधिवत बंटवारा आदेश दिनांक 16.07.1986 प्रकरण क्रमांक 7/अ–27/1985–86 पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गयी थी। उपरोक्त कार्यवाही उभयपक्षों के मध्य विधिवत रूप से प्रक्रिया के अनुसार की गयी थी। उक्त आदेश की विधिवत जानकारी अनावेदकगण को आदेश दिनांक से निरंतर रही है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4296/2018/छतरपुर/भू.रा. गौरीबाई विरूद्ध माधव

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बडामलहरा जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 167/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 28-06-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 04-07-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

2 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

8/11/19

(आर.के. जैन)
सदस्य